

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 69/2016

उनवान

1. प्रकाश,
2. उम्मेद पि० कालू जाति मेहरात नि० ग्राम बिदुर नसीराबाद
-- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मूंशी पि० कामड,
2. पीरू,
3. सुखदेव पि० भोमा,
4. भंवर,
5. पूना,
6. कादर,
7. बादशाह,
8. लाडी पि. धन्ना
9. कूकी पत्नी बाबू,
10. असलम,
11. मुराद,
12. सईदा,
13. मुमताज,
14. मुन्नी,
15. सलमा पि० बाबू,
16. प्रभु,
17. पप्पू पि० हेमा जाति मेहरात नि० ग्राम बिदुर, नसीराबाद,
18. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
-- अप्रार्थीगण :- 16 व 17 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर
18 जरियें राज० पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :-

दिनांक :- 29/5/24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिदुर के हाल खसरा नम्बर 73 रकबा 0.18 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। आराजी मुतनाजा अविभाजित है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 15 ने विभाजन कराने से मना कर दिया है तथा प्रार्थी की आराजी पर दखलदांजी की जा रही है। अतः अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे कास्त में दखलदांजी नहीं करे। भूमि का हस्तांतरण नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वे अपने हक व अधिकार पर ही कृषि कार्य के लिये भण्डारण व सुरक्षा से संबंधित दिवार का निर्माण करा रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 15 के साथ ही विभाजन वाहा है। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 के विरुद्ध विभाजन नहीं चाहा है। जवाबकर्ता के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थी अनुपरिष्ठात रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी अविभाजित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 16 व 17 बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर निर्माण कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 15 प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये हैं। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 का कथन है कि वे अपने हक व अधिकार पर ही कृषि कार्य के लिये भण्डारण व सुरक्षा से संबंधित दिवार का निर्माण करा रहे हैं। किन्तु राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर उनका नाम दर्ज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 का आराजी मुतनाजा पर क्या अधिकार है यह उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। अविभाजित आराजी पर निर्माण कार्य करना न्यायोचित नहीं है। साथ ही अविभाजित आराजी पर अपना स्वयं का हिस्सा विक्रय करने से सह खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण मौका सिथिति के व्यादेश तक प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 16 व 17 आराजी मुतनाजा पर बिना किसी हक के निर्माण कार्य कर रहे हैं। अविभाजित आराजी पर निर्माण करने से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होंगे।

आदेश :- अतः ग्राम बिदुर के हाल खसरा नम्बर 73 रकबा 0.18 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथासिथिति बनाये रखे, निर्माण नहीं करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी